

(लोक सभा द्वारा 15.12.2022 को पारित रूप में)

2022 का विधेयक संख्यांक 217-सी

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूलड ट्राइब्स) आर्डर (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022

तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 14-तमिलनाडु में, प्रविष्टि 36 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“37. नरिकुरवन, कुरुविककारन”।

संक्षिप्त नाम ।

संविधान
(अनुसूचित
जनजातियां)
आदेश, 1950 का
संशोधन ।